संख्या–466 / 9–आ–2001 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी0 पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर, 2001

विषय : स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत आंशिक भू– उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में परिवर्तन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 1 / ल.वि.प्रा. / 2001 / भवन दिनांक 22.5.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक शमन योजना के अनुसार विकासशील / अविकसित क्षेत्र में आवासीय भवनों में फ्रन्ट सेट–बैक में किया गया निर्माण केवल भूतल पर भूखण्ड के फ्रन्टैज का अधिकतम 30 प्रतिशत परन्तु फ्रन्ट सेट–बैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 40 प्रतिशत भाग शमनीय है। यह प्राविधान चूंकि आवासीय क्षेत्र में फ्रन्ट सेट–बैक के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के शमन हेतु था, अतः ऐसे प्रकरणों के शमन में भू–प्रयोग परिवर्तन शुल्क निम्नानुसार लिया जायेः–

(i) निर्मित दुकान का फ्रन्टेज यदि सड़क की ओर है और उसके आगे रिक्त भूमि उपलब्ध है, तो ऐसी समस्त रिक्त भूमि पर परिवर्तन शुल्क लिया जाय। इसके अतिरिक्त निर्मित दुकान की साइड में 1.0 मीटर अतिरिक्त भूमि पर भी परिवर्तन शुल्क लिया जाए।

(ii) निर्मित दुकान का फ्रन्टेज यदि मुख्य सड़क पर है और उसके आगे रिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निर्मित दुकान की साइड में केवल 1.0 मीटर अतिरिक्त भूमि पर परिवर्तन शुल्क लिया जाए।

3. कृपया उपरोक्त प्रकृति के भू–उपयोग परिवर्तन से आच्छादित प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या (1) /9–आ–3–2001(आ.ब.)–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव